

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-7/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/29)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
—कन्टेस्टिंग रेस्पोंडेन्ट
2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।
—परफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या:-15/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/39)

1. हरीनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
—कन्टेस्टिंग रेस्पोंडेन्ट
2. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।
—परफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या:-30/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/83)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या:—39/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/180)

1. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
3. हरसहाय पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सलेमपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा, राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:—

1. श्री शिवसिंह चौधरी, एवं श्री भवानीसिंह एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री संजय शर्मा, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.06.2024

अपीलार्थीगण द्वारा उपरोक्त अपीलों में से दो अपीलें क्रमशः संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/29 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/39 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 (प्रकरण संख्या 07/2020 उनवान बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत सलेमपुरा) के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं शेष दो अपीलें क्रमशः जीसीएमएस नम्बर 2023/83 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/180 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ पचवारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 वाके ग्राम सलेमपुरा पर पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। उपरोक्त

P.T.O.

ऑर्टरिस्त
संख्या
व्यक्त

(3)

चारों अपीलों में भूमि विवादग्रस्त एक ही होने एवं चारों अपीलों के तथ्य एक समान होने से चारों अपीलों की एक साथ बहस सुनी गई है। इसलिये चारों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट हाल स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 29 कुल किता 7 रकबा 87 अबीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 30 कुल किता 36 रकबा 60 बीघा 13 बिस्वा व खाता संख्या 34 कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जगन्नाथ पुत्र भौरया के स्वर्गवास पर ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा मृतक खातेदार जगन्नाथ के वारिसान क्रमश राधेश्याम, हरिनारायण, हरसहाय, बाबूलाल व मु० भूली देवी बेवा जगन्नाथ के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा स्वीकृत व तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण संख्या 334 के विरुद्ध रेस्पोजेन्ट बाबूलाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के समक्ष एक अपील संख्या 7/2020 असाधारण विलम्ब 11 वर्ष 6 माह 3 दिन के पश्चात् पेश की गई। जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा द्वारा दिनांक 27.01.2023 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार राहूवास को पुनः वारिसान की जाँच कर नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये गये।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 27.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलान्त राधेश्याम ने एक अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 07.02.2023 को पेश की गई जिसके लम्बित रहते हुए तहसीलदार राहूवास द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के आदेश दिनांक 27.01.2023 की अनुपालना में उभय पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 28.04.2023 पारित कर मूल खातेदार जगन्नाथ के वारिसों में से राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ का नाम विलोपित कर शेष वारिसन हरिनारायण, हरसहाय बाबूलाल पुत्रान जगन्नाथ तथा गुलाब उर्फ गोमती पुत्री जगन्नाथ के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश गलत व कानून विरुद्ध पारित किया एवं तहसीलदार राहूवास के उक्त आदेश दिनांक 28.04.2023 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 04.05.2023 को भरा जाकर दिनांक 05.05.2023 को तहसीलदार राहूवास ने स्वीकार कर दिया। तहसीलदार राहूवास के उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध भी अपीलान्त राधेश्याम द्वारा अपीलें न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को जाँचे बिना कि नामान्तरकरण प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है जो महज राजस्व कर सम्बन्धित प्रविष्टिया है। इससे स्वामित्व उत्पन्न नहीं होता है तथा उत्तराधिकार का कठिन विवादक, वसीयत या गोद इत्यादि के कठिन बिन्दू नामान्तरकरण प्रक्रिया में निस्तारित नहीं किये जा सकते बल्कि पीड़ित पक्षकार नियमित वाद

P.T.O.

अतिरिक्त सहायक आयुक्त
राजपुर

(4)

से ही अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा इस कानूनी बिन्दू को महत्व न देकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 पारित किया है, जो विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त बाबूलाल ने राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को गोपीलाल के गोद जाने बाबत कोई गोदनामा पेश नहीं किया है। महज नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 15.04.1973 पेश किया है जबकि कानूनन नामान्तरकरण के आधार पर राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को गोपीलाल का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कथन किया है कि बाबूलाल, हरिनारायण व हरसहाय द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 30/2008 न्यायालय जिलाधीश लालसोट के समक्ष बाबत उद्घोषणा व दुरुती इन्द्राज पेश कर वाद पत्र के मद संख्या 8 में कथन किया गया कि "प्रतिवादी राधेश्याम की खातेदारी में अवैध वल्दियत पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गोपी गलत दर्ज कर रखी है वास्तव में प्रतिवादी राधेश्याम भी मृतक जगन्नाथ का ही पुत्र है। अतः उसकी वल्दियत भी खातेजात में दुरुस्त किये जाने योग्य है" व अनुतोष के खण्ड (ख) में भी इसी बाबत अनुतोष चाहा है अर्थात् वादीगण का स्वीकृत तथ्य है कि हाल अपीलान्त राधेश्याम स्व. जगन्नाथ का ही पुत्र है जिसका नामान्तरकरण अधीन भूमि में हिस्सा 1/4 है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान मूल खातेदार जगन्नाथ के 4 पुत्रों के मध्य हुए परिवारिक समझौता पत्र दिनांक 12.02.2008 को पढ़े व समझे बिना कि बाबूलाल को वर्ष 2020 में अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि वह उक्त लिखित व हस्ताक्षरित परिवारिक समझौते से एस्टोपड था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य पर भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने आगे कथन किया है कि तहसीलदार राहूवास ने इस अहम कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि नामान्तरकरण संख्या 16 अधीन भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तथाकथित दत्तक पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी में थी या नहीं जो नामान्तरकरण राधेश्याम को गोपीलाल का दत्तक पुत्र मान कर गलत नामान्तरकरण स्वीकार किया। वास्तविकता राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त ग्राम सलेमपुरा तहसील लालसोट निजामत दौसा सम्वत् 2003 से 2022 अनुसार अपीलान्त के पूर्व हक अधिकारी भौरिया वल्द रणजीत कौम ब्राह्मण के कब्जे काश्त व खातेदारी की 108 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी तथाकथित गोपीलाल के खातेदारी में कभी नहीं रही है। गलत नामान्तरकरण संख्या 16 में अपीलान्त की वल्दियत गलत अंकित की गई है। इस अहम कानूनी बिन्दु को समझे व जाँच बिना स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 गलत व अवैध होने से निरस्तनीय है। उन्होंने आगे कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 में दिये गये प्रथम श्रेणी के

P.T.O.

अतिरिक्त प्रमाण पत्र
नमक

(5)

वारिसान राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ का नाम विलोपित करने में अहम कानूनी भूल की गई है और इस आदेश की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.05.2023 प्रारम्भ से कानून विरुद्ध व अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 16 दिनांक 15.04.1973 का हवाला देकर अपीलान्त राधेश्याम के तथाकथित गोपीलाल का गोद पुत्र बिना कि किसी दस्तावेज पंजीकृत या अपंजीकृत के होते हुए मानने में अहम कानूनी भूल की गई है। नामान्तरकरण संख्या 16 में वर्णित कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व या पश्चात् में कभी भी गोपीलाल की खातेदारी की भूमि नहीं रही है तथा अपीलान्त राधेश्याम कभी भी तथाकथित गोपीलाल के गोद नहीं गया, ना कोई गोद की रस्म हुई, इसके अतिरिक्त गोपीलाल नाम का कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है और ना था। इसलिये नामान्तरकरण संख्या 16 में वर्णित भूमि में जो इन्द्राज राधेश्याम पी.मू. गोपीलाल अंकित किया गया जिसकी वास्तविक वल्लिदयत पुत्र जगन्नाथ है, जिसकी जाँच किये बिना तहसीलदार राहूवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 को जगन्नाथ के वारिस को अनाधिकृत तौर पर अपने विधिक अधिकारों से कानूनन विरुद्ध वंचित करने में अपने विवेक व उनमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर पारित किया गया है, जो आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी राधेश्याम की तीनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 27.01.2023 एवं तहसीलदार राहूवास जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 को खारिज फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 10.07.2008 को बहाल किया जावे।

अपीलार्थी हरीनारायण के अधिवक्ता ने भी अपीलार्थी राधेश्याम की अपीलों के तथ्यों का समर्थन करते हुए चारों अपीलों स्वीकार करने एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 27.01.2023 एवं तहसीलदार राहूवास जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2023 को खारिज फरमाया किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 10.07.2008 को बहाल किये जाने का कथन किया है।

रेस्पोजेन्ट बाबूलाल के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्त राधेश्याम अपने पिता जगन्नाथ के जीवनकाल में ही गोपीलाल के यहाँ गोद चला गया था तथा गोपीलाल की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 15.04.1973 को नामान्तरकरण संख्या 16 राधेश्याम के हक में ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा तस्दीक किया जा चुका था उसके उपरान्त भी अपीलान्त राधेश्याम ने सन् 2006 में जगन्नाथ की विरासत में भी स्वयं ने अपना नाम दर्ज करवाकर नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 10.07.2008 तस्दीक करवा लिया जबकि कानूनन एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों की विरासत नहीं मिल सकती इस कारण

P.T.O.

व्यक्तिगत प्रमाण पत्र
कानून

(6)

उक्त नामान्तरकरण संख्या 334 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय ही थी। उन्होंने आगे कथन किया राधेश्याम परिवार में बड़ा था समझदार था और उसके गोद चले जाने के पश्चात् भी गलत रूप से मृतक जगन्नाथ की विरासत में अपना नाम दर्ज करावा लिया। उन्होंने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा विवादित नामान्तरकरण खोलने से पहले न तो रेस्पोजेन्ट बाबूलाल को सुनवाई का मौका दिया, न जवाबदेही का मौका दिया, न साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया और बिना वारिसान की जाँच किये ही विवादित नामान्तरकरण संख्या 334 तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय ही था।

रेस्पोजेन्ट बाबूलाल के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्त राधेश्याम जगन्नाथ के जीवनकाल में ही गोपीलाल के गोद नसीन हो चुका था उसके उपरान्त भी राधेश्याम ने पटवारी हल्का व गिरदावर से मिलकर गुपचुप में नामान्तरकरण संख्या 334 अपने हक में खुलवा लिया था जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोजेन्ट बाबूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के समक्ष उक्त नामान्तरकरण संख्या 334 के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है।

रेस्पोजेन्ट बाबूलाल के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 27.01.2023 की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ़ पचवारा द्वारा प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित देने के उपरान्त एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रादि के अवलोकन एवं प्रकरण के परीक्षण उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक गलती नहीं की गई है तथा तहसीलदार के उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.05.2023 को स्वीकृत भी किया जा चुका है। अतः अपीलार्थीगण की चारों अपीलें सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद अपीलार्थी राधेश्याम के गोपीलाल के गोद जाने के कारण एवं उक्त गोपीलाल की विरासत प्राप्त करने के पश्चात् मृतक खातेदार जगन्नाथ की विरासत में भी हक पाने के कारण हुआ है किन्तु गोपी नामक व्यक्ति वास्तव में अस्तित्व में था भी अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा एवं तहसीलदार रामगढ़ पचवारा किसी प्रकार की कोई विस्तृत जाँच किये बिना ही उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विस्तृत जाँच हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतिरिक्त प्रमाणित प्रमाण

P.T.O.

(7)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों अपीलें संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/29 एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/39 उनवान राधेश्याम बनाम बाबूलाल स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2023 को निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय निरस्त हो जाने के कारण उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 80 दिनांक 05.05.2023 स्वतः ही निरस्त है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत जाँच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावें:-

1. आया कि गोपी नामक कोई व्यक्ति प्रश्नगत भूमियों का खातेदार काश्तकार कभी रहा है अथवा नहीं ?
2. आया कि राधेश्याम को गोपी की खातेदारी भूमि यदि विधिवत प्राप्त हुई तो क्या वह जगन्नाथ की खातेदारी भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं? यदि अधिकारी है तो किन विधियों के अनुसार प्राप्त कर सकता है?
3. आया कि गोपी नामक व्यक्ति यदि प्रश्नगत भूमियों का कभी स्वामी नहीं रहा तो बैनामी सम्पत्ति राजसात योग्य है अथवा नहीं ?
4. आया कि गोपी नाम का व्यक्ति यदि प्रश्नगत भूमि का स्वामी रहा है तथा नाऔलाद फौत हुआ है तथा कोई गोदनामा भी गोपी द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है तो क्या प्रकरण में एस्चीट एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं अथवा नहीं?
5. आया कि राधेश्याम को जो भूमि जगन्नाथ की वल्लिदयत के साथ प्राप्त हुई है, उसका हकत्याग करने का अधिकार राधेश्याम को है अथवा नहीं? क्या उक्त हकत्याग अब-इनिशियो-वोर्ड्ड है अथवा नहीं?

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति.संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,

जयपुर।